उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-10/2020/578/एक-1-2020-24(1)/2018

लखनऊ: दिनॉक: 11 जून, 2020

<u>अधिसूचना</u>

(संशोधन)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) व (घ) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 दिनांक-31.10.2019 द्वारा जनपद मीरजापुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रबंधन में निहित कुल 85 गाटा कुल रकबा 470.304हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण करते हुए मै0 जे0पी0 ऐसोसिएट्स लि0 द्वारा जनपद सोनभद्र में अस्थायी रूप से प्रस्तावित प्रयोग के लिए वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखने की अनुमति प्रदान की गयी थी। सम्प्रति मै0 जे0पी0 ऐसोसिएट्स लि0 द्वारा उक्त सीमेंट फैक्ट्री दिनांक 29.06.2017 को मै0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 को विक्रय कर दी गयी है।

अत: सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 दिनांक-31.10.2019 में जहाँ-जहाँ मै0 जे0पी0 ऐसोसिएट्स लि0 अंकित है, के स्थान पर मै0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 का नाम अंकित किए जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

तदनुसार अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 दिनांक-31.10.2019 संशोधित समझी जाये। उक्त अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 के शेष प्राविधान एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

रेणुका कुमार

अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, भू-तत्व खनिकर्म, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- मण्डलायुक्त विंध्याचल मण्डल, मीरजापुर।

6- जिलाधिकारी, मीरजापुर को उनके पत्र संख्या-349/जी0भू0व्यव0लि0/पुनर्ग्र0पत्रा0-49/2019 दिनांक 26/06/2019 के आलोक में।

7- मै0 जे0पी0 ऐसोसिएट्स लि0 विष्णु सदन, 5 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001

8- प्रबन्ध निदेशक, अल्ट्राटेक सीमेंट लि0 अहूरा सेन्टर, बी-विंग, 2 फ्लोर, महाकाली केव्स, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई-400093

9- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर उसकी 15 मुद्रित प्रतियां राजस्व अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराएं।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

घनश्याम चतुर्वेदी

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in